

न्यायालय:— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर।

ए0वी0पी0सं0-442 / 2026

नौबतपुर थाना कांड संख्या-363 / 2025

आदेश

04.05.2026 वाद आज प्रस्तुत किया गया। बार-बार पुकार करने पर आवेदक गौतम कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि लगातार कई तिथियों से उनके विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पाये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आवेदक को इस वाद में अब अभिरूचि नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में बिना गुणदोष के आधार पर उक्त अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम्, दानापुर।

